न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 64/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गुणेशाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 60 वर्ष 2. पताराम पुत्र गोरधनराम उम्र 65 वर्ष 3. रावताराम पुत्र गोरधनराम उम्र 55 वर्ष जातियान सुथार निवासी खेराजपुरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. धनाराम पुत्र नगाराम उम्र 55 वर्ष 2. भारूराम पुत्र नगाराम उम्र 65 वर्ष जाति सुथार निवासी खेराजपुरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. जीयाराम पुत्र देवाराम उम्र 70 वर्ष 4. अमराराम पुत्र मोतीराम उम्र 50 वर्ष 5. वींजाराम पुत्र मोतीराम उम्र 48 वर्ष जातियान जाट निवासी खेराजपुरा तहसील सिगधरी जिला बालोतरा 6. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 6 के पेरोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संव[illegible] 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार [illegible] और [illegible]र्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए [illegible] है,जिसके प्र[illegible] हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील [illegible] इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम खेराजपुरा में खसरा संख्या 121 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा खसरा खंख्या 122 रकबा 12.4910 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner